सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– **233**
17/03/2026

गृह विभाग, अभियोजन निदेशालय में 'महिला सुरक्षा' विषय पर तृतीय चरण प्रशिक्षण का शुभारंभ

पटना 17 मार्च, 2026 :– अभियोजन निदेशालय (गृह विभाग), बिहार पटना के सभा कक्ष में अभियोजन पदाधिकारियों का BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित महिला सुरक्षा विषय पर तृतीय चरण में 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अभियोजन निदेशालय द्वारा किया गया।

उक्त कार्यक्रम में अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों से नामित कुल 25 (पच्चीस) अभियोजन पदाधिकारियों ने भाग लिया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार सिन्हा, पूर्व महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना थे।

डा० रविकान्त देव, उपनिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता किया गया। उनके द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों एवं प्रतिभागीयों का स्वागत किया गया। श्री देव द्वारा इस पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए प्रतिभागियों को अपनी कार्यशैली को सृदढ़ बनाते हुए महिला के परिप्रेक्ष्य में कार्य करने का अनुरोध किया गया ताकि महिलाओं को वर्तमान विधियों के अन्तर्गत त्वरित न्याय प्रदान कराया जा सके।

श्री नित्यानन्द कुमार, उप निदेशक (विधि), अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, बिहार ने प्रतिभागियों को सबोधित किया तथा अपने संबोधन में विधि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया सतत् चलने की बात बताई। सभी अभियोजन पदाधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिये जानेवाले प्रशिक्षण का लाभ लें एवं इसका उपयोग बिहार अभियोजन सेवा का नाम आगे बढ़ाने में करें।

मुख्य अतिथि मनोज कुमार सिन्हा, पूर्व महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पढ़ना द्वारा अभियोजन पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्भया फंड के माध्यम से ष्महिला सुरक्षाष विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण में द्विपक्षीय संवाद होना चाहिए जिससे प्रतिभागी अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होनें यह भी कहा कि प्रत्येक अभियोजक को अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित किये जाने वाले आरोप पत्र की सूक्ष्म समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि पीड़िता का पक्ष न्यायालय में मजबूती से रखा जा सके। अपने संबोधन में उन्होंने निदेशालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को इस अवसर पर आमंत्रित किये जाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया ।

श्री धर्मेश कुमार, प्रभारी निदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा मंचासीन अतिथियों प्रतिभागियों एवं निदेशालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस कार्यक्रम में श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक, श्री राजेश कुमार, सहायक अभियोजक, श्री रूपेश कुमार, सहायक अभियोजक, अभियोजन पदाधिकारी, श्री अजीत कुमार, उप सचिव, सुश्री रागिनी कुमारी, नेयाज अहमद, अभियोजन पदाधिकारी, श्री रंजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, श्री आलोक कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी तथा श्री ईशाद आलम, प्रोग्रामर एवं अभियोजन निदेशालय के कर्मी उपस्थित थे।

———————————